

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं. 25/019	धारा अंतर्गत 136 L.R.A	ग्राम मोरेला	तहसील दंडा
वादी श्याम लाल	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी राम. श्रीवास्तव	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

16/9/19
अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 L.R.A के तहत उक्त अभिलेख में पेश किया गया रिपोर्ट सही है या अकलोकन किया प्रमाण दर्श सजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरूर सम्मान तलब कर पत्रावली दिनांक 15/10/19 को पेश हो।

15/10/19
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट अ प्राप्त। वास्ते ई व जर रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 6/11/19 को पेश हो।

6/11/19
आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11/12/19 को पेश हो।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

11/12/19
आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/01/20 को पेश हो।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

21/1/20
आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16/2/20 को पेश हो।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

18/12/20

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित। बहसीतदार द्वारा पत्रावली पेश नहीं किया गया है। वही पत्रावली/रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 14/12/20 को पेश है।

7/1/20

कोशीला अकूमल
न्यायालय अधिकारी के अर्थ कार्य में
अस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक 14/12/20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

7/1/20

कोशीला अकूमल
न्यायालय अधिकारी के अर्थ कार्य में
अस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक 14/12/20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

10/1/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित। बहसीतदार द्वारा अख्तार से पत्रावली/रिपोर्ट प्राप्त। प्रक्रिया का प्रा.पत्र सुनवाई बहसीतदार रिपोर्ट के स्वीकार किया जाता है। निष्पत्ति प्रथम से लिखी जाकर शांति किताबों पत्रावली प्रेषित होकर दाखिल दफ्तर है।

20/1/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित। प्रकरण प्रशासन गोर के अर्थ अधिसूचना क्रमांक 2021 में मू.रा.नं. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्राची अन्तर्गत सोमा के स्थान पर शम्भुलाल एक पिता विसय के स्थान पर वसन्तलाल करके आदेश पारित कर दिये गए हैं। प्रकरण में अब कोई कार्य बाकी अपेक्षित नहीं है। इसी हद पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली प्रेषित होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारा (राज.)

C.A

286
21/1/21